प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में

रिट याचिका क्रमांक 2351 सन् 2003

याचिकाकर्ता : कुमैत राम शांडिल्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश के उद्घोषित किए जाने हेतु यह प्रकरण दिनांक 02 अप्रैल, 2012 को नियत किया गया।

हस्ताक्षरित/

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

दिनांक : 26/04/2012

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में

रिट याचिका क्रमांक 2351 सन् 2003

याचिकाकर्ता : कुमैत राम शांडिल्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका

एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थित : श्री जगदीश सिंह बराइक, अधिवक्ता — याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री पी. के. भादुरी, पैनल अधिवक्ता — राज्य/उत्तरवादीगण की ओर से।

(**दिनांक 27 अप्रैल, 2012 को निर्णय उद्घोषित किया गया**।)

1. इस याचिका में दिनांक 8 मई, 2003 के आदेश (अनुलग्नक-पी/14) को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा राज्य शासन ने मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 (संक्षेप में 'नियम, 1966') के नियम 10(8) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता को सेवा से पृथक (हटा) दिया। साथ ही, दिनांक 8 अगस्त, 2003 के आदेश (अनुलग्नक-पी/15) को भी चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दरभा, जिला

बस्तर के पद पर की गई पदस्थापना को भी निरस्त कर दिया गया।

2. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निर्विवाद तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता, जब विकास खंड अधिकारी, बलरामपुर, जिला सरगुजा के पद पर कार्यरत था, तब उस पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के आधार पर, जांच लंबित रहने के दौरान, दिनांक 29 अगस्त, 1992 के आदेश (अनुलग्नक-पी/1) द्वारा उसे निलंबित कर दिया गया तथा तत्पश्चात उसका मुख्यालय उपायुक्त, आदिवासी कल्याण, बिलासपुर के कार्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। इसके पश्चात याचिकाकर्ता को दिनांक 05 अक्टूबर, 1992 को एक कारण बताओ सूचना (अनुलग्नक-पी/4) जारी की गई, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि उसने इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना तथा जीवनधारा योजना से संबंधित वर्ष 1992 तक की अवधि की प्रगति प्रतिवेदन दिनांक 02 सितंबर, 1992 तक कलेक्टर, सरगुजा को प्रस्तुत नहीं किया। चूँकि उक्त प्रगति प्रतिवेदन कलेक्टर, सरगुजा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी, अतः उपर्युक्तानुसार कारण बताओ सूचना जारी कर यह स्पष्ट करने को कहा गया कि याचिकाकर्ता पर असंचयी प्रभाव के एक वेतनवृद्धि रोकने की शक्ति क्यों न अधिरोपित किया जाए। याचिकाकर्ता ने दिनांक 27 नवंबर, 1992 को अपना जवाब (अनुलग्नक-पी/5) प्रस्तुत किया, जिसमें यह कहा गया कि उसने दिनांक 31 अगस्त, 1992 को उक्त जानकारी डी.आर.डी.ए. के लिपिक को प्रदान कर दी थी। आक्षेपित आदेश दिनांक 08 मई, 2003 में यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 27 जून, 1992 को आरोप-पत्र प्रदान किया गया था तथा कारण बताओ सूचना के जवाब प्राप्त होने के पश्चात, दिनांक 01 जून, 1993 के आदेश द्वारा नियम, 1966 के नियम 14(ख) एवं (ग) के अंतर्गत क्रमशः उप कलेक्टर, जिला सरगुजा को जांच अधिकारी तथा सहायक आयुक्त, आदिवासी कल्याण, अंबिकापुर को प्रस्तुतीकरण अधिकारी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नियुक्त किया गया।

3. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 14 जून, 1996 को सूचना दी गई थी कि वह दिनांक 18 जून, 1996 को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो (अनुलग्नक-पी/7)। याचिकाकर्ता ने तत्पश्चात दिनांक 08 जुलाई, 1996 का एक पत्र (अनुलग्नक-पी/8) विभागीय जांच अधिकारी को संबोधित कर प्रस्तुत किया, जिसमें यह अनुरोध किया गया कि उसे आरोप-पत्र की प्रति उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता के अनुसार उसे कभी भी आरोप-पत्र तामील नहीं किया गया था। इसके उपरांत जांच संपन्न की गई तथा दिनांक 24 सितंबर, 1997 को जांच प्रतिवेदन (अनुलग्नक-पी/10) एकपक्षीय (एक्स-पार्टी) रूप से याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन सभी छह आरोपों को सिद्ध मान लिया गया, जिनके संबंध में याचिकाकर्ता को कभी भी अवगत नहीं कराया गया था। तत्पश्चात दूसरी कारण बताओ सूचना जारी की गई, जिसके जवाब में याचिकाकर्ता ने दिनांक 31 मार्च, 1998 / 02 अप्रैल, 1998 के पत्र (अनुलग्नक-पी/11) के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध किया तथा पुनः यह उल्लेख किया कि उसे कोई भी आरोप-पत्र प्रदान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप आक्षेपित आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने अपील प्रस्तुत की, जिसे भी दिनांक 23 दिसंबर, 2005 को निरस्त कर दिया गया (अनुलग्नक-आरईजे-1)। अतः यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बराइक ने तर्क प्रस्तुत किया कि संपूर्ण विभागीय जांच दूषित (विटिएटेड) है तथा उसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता पर सेवा से पृथक्करण का जो गंभीर दंड अधिरोपित किया गया है, वह भी विधि विरुद्ध है और निरस्त किए जाने योग्य है। श्री बराइक ने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि आरोप-पत्र की प्रति प्रदान न किया जाना, संविधान के प्रावधानों के साथ-साथ नियम, 1966 के नियम 14 के प्रावधानों के प्रतिकूल है, जो कि आज्ञापक प्रकृति का है। श्री बराइक ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि राज्य शासन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सहमति भी प्राप्त नहीं की गई है, जबकि वर्ग-II (क्लास-II) अधिकारियों के प्रकरण में यह अनिवार्य है, और याचिकाकर्ता एक वर्ग-II अधिकारी था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री भादुरी ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप गंभीर प्रकृति के थे, जिनके अनुसार उसने इंदिरा गांधी आवास योजना एवं जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों से रिश्वत ली थी। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत सम्पूर्ण राशि का वितरण नहीं किया, तथा सामग्री क्रय करते समय अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं किया। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता अभिलेखों एवं दस्तावेजों में कूटरचना/हेरफेर करने में भी संलग्न था।

6. इस प्रश्न के संबंध में कि आरोप-पत्र की तामील की गई थी अथवा नहीं, प्रतिवादियों द्वारा उक्त विशिष्ट आरोप पर कोई प्रत्यक्ष विचार नहीं किया गया। तथापि यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि नियम, 1966 के नियम 10(viii) के अंतर्गत सेवा से पृथक्करण का दीर्घ शक्ति अधिरोपित करने संबंधी दिनांक 08 मई, 2003 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक-पी/14) पारित किए जाने से पूर्व राज्य लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त कर ली गई थी।

7. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिवचनों एवं उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

8. याचिकाकर्ता का यह आरोप कि उसके विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ किए जाने से पूर्व अथवा उसके पश्चात, जांच की कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता द्वारा आरोप-पत्र की प्रति उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किए जाने के बावजूद, उसे नियम, 1966 के नियम 14 के उप-नियम (4) के अनुसार आरोप-पत्र की तामील नहीं की गई, सिद्ध होता है।

9. नियम, 1966 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं। शक्ति अधिरोपित करने की प्रक्रिया से संबंधित सुसंगत नियम, अर्थात् नियम 14, इस प्रकार है-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. मुख्य शास्तियां अधिरोपित करने के लिये प्रक्रिया

(1) नियम 10 के खंड (पाँच) से खंड (नौ) तक में उल्लिखित की गई शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई भी आदेश, यावतशवय इस नियम में तथा नियम 15 में उपबंधित की गई रीति में, या पब्लिक सर्वेन्ट्स (इन्क्वायरीज) एक्ट, 1850 (क्रमांक 37 सन् 1850) द्वारा, जहाँ कि उस एक्ट के अधीन ऐसी जाँच की जाती हो, उपबंधित की गई रीति में की गई जाँच के पश्चात ही दिया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध लगाए गए किसी अवचार या कदाचार के लांछन की सत्यता की जाँच करने के लिये आधार है, तो वह (अनुशासनिक प्राधिकारी) स्वयं जाँच कर सकता है या यथास्थिति इस नियम के अधीन या पब्लिक सर्वेन्ट्स (इन्क्वायरीज) एक्ट, 1850 के उपबंधों के अधीन उसकी (लांछन

की) सत्यता की जाँच करने के लिये किसी प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकता है।

व्याख्या—

जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जाँच कर रहा हो, वहाँ उपनियम (7) से उपनियम (20) तक में तथा उपनियम (22) में जाँचकर्ता प्राधिकारी के प्रति किया गया कोई भी निर्देश अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रति किया गया निर्देश समझा जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) जहाँ शासकीय सेवक के विरुद्ध इस नियम तथा नियम 15 के अधीन जाँच करना प्रस्तावित हो, वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी—

(एक) अवचार या कदाचार के लांछन की विषय-वस्तु को निश्चित तथा पृथक आरोप-पत्रों के रूप में लिखेगा या लिखवाएगा;

(दो) प्रत्येक आरोप-पत्र के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का विवरण बनाएगा या बनवाएगा, जिसमें कि निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे—

(क) शासकीय सेवक द्वारा की गई स्वीकृति या संस्वीकृति को सम्मिलित करते हुए समस्त सुसंगत तथ्यों का विवरण;

(ख) उन दस्तावेजों की सूची, जिनके द्वारा, तथा उन साक्षियों की सूची, जिनके द्वारा आरोप-पत्रों को प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है।

4) अनुशासनिक प्राधिकारी शासकीय सेवक को आरोप-पत्रों की, अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की तथा उन दस्तावेजों एवं साक्षियों की, जिनके द्वारा प्रत्येक आरोप-पत्र का प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है, सूची की एक प्रतिलिपि परिदत्त करेगा या परिदत्त करवाएगा और शासकीय सेवक से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर, जो कि उल्लिखित किया जाए, अपने प्रतिवाद का लिखित कथन प्रस्तुत करे तथा यह भी बतलाये कि क्या वह अपनी व्यक्तिश: सुनवाई किये जाने की वांछा करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5(क) प्रतिवाद का लिखित कथन प्राप्त होने पर, अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं आरोप-पत्रों में से ऐसे आरोप-पत्रों की, जो स्वीकार नहीं किये गये हों, जाँच कर सकेगा या उपनियम (2) के अधीन उस प्रयोजन के लिये जाँचकर्ता प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे। और जहाँ समस्त आरोप शासकीय सेवक द्वारा प्रतिवाद के अपने लिखित कथन में स्वीकार कर लिये गये हों, वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात, जैसा कि वह उचित समझे, प्रत्येक आरोप के सम्बन्ध में अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और नियम 15 में विहित रीति में कार्य करेगा।

(ख) यदि शासकीय सेवक द्वारा प्रतिवाद का कोई भी लिखित कथन प्रस्तुत न किया जाए, तो अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं आरोप-पत्रों की जाँच करेगा या उपनियम (2) के अधीन उस प्रयोजन के लिये जाँचकर्ता प्राधिकारी की

नियुक्ति कर सकेगा, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे।

(ग) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं किसी भी आरोप-पत्र की जाँच करे, या ऐसे आरोप की जाँच करने के लिये किसी जाँचकर्ता प्राधिकारी की नियुक्ति करे, तो वह आदेश द्वारा आरोप-पत्रों के समर्थन में अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिये किसी शासकीय सेवक या विधि व्यवसायी को नियुक्त कर सकेगा, जो कि "प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी" के नाम से जाना जाएगा।

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. जिन आरोपों की जांच जांच अधिकारी द्वारा की गई, उनके संबंध में आरोप-पत्र, अवचार या कदाचार के लांछनों आरोपों का विवरण (आरोप विवरण), तथा आरोपों के समर्थन में प्रस्तावित दस्तावेजों एवं साक्षियों की सूची याचिकाकर्ता को तामील नहीं की गई, और इस प्रकार उक्त आरोपों की जांच याचिकाकर्ता को आरोप-पत्र की विधिवत आपूर्ति किए बिना ही की गई।

11. याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप इस प्रकार हैं—

<u>आरोप क्रमांक–1 :–</u>

श्री सांडिल्य ने आरोप विवरण पत्र में दर्शाये अनुसार ग्रामीण आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, जनसंपर्क एवं जवाहर रोजगार योजना मद के कार्यों के लिये हितग्राहियों से क्रमशः ₹9500/–,

₹7930.00, ₹800.00 एवं ₹31600.00 रिश्वत लेकर मूल आचरण अपनाया और सन्निष्ठ नहीं रहकर म०प्र० सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन किया है।

आरोप क्रमांक–2 :–

जवाहर रोजगार योजना मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत अपने हिस्से की राशि में से अधिकतम ₹250.00 लेखन सामग्री पर व्यय कर सकता है। वर्ष 1989–90 में विकास खंड बलरामपुर के 31 ग्राम पंचायतों के लिये उक्त योजना के तहत ₹25,81,000.00 रुपये भेजे गये। श्री सांडिल्य विकास खंड अधिकारी द्वारा पंचायतों को पूरी राशि वितरित न कर कदाचार नियमों एवं जवाहर रोजगार योजना मैनुअल प्रावधानों के प्रतिकूल रुपये 61,400.00 के स्टेशनरी अलमारी, क्रय कर दायित्व के प्रतिकूल कार्य किया। म०प्र० सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन किया है।

आरोप क्रमांक–3 :–

पंचायत प्रस्ताव के अनुसार भेदमी–सेराडांड पहुँचमार्ग निर्माण किया जाना था। इसके स्थान पर अभिलेखों में हेराफेरी कर विरकामा से चुलसी पहुँचमार्ग के दो अलग-अलग प्रकरण बनाये गये तथा उन पर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इस प्रकार श्री सांडिल्य ने अनियमित रूप से निर्माण के प्रकरण तैयार करने एवं शासकीय राशि के हड़पने का कृत्य सम्पन्न कर अपने दायित्वों के प्रतिकूल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कार्य किया है और म०प्र० सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 की नियम 3 का उल्लंघन किया है।

<u>आरोप क्रमांक–4 :–</u>

ग्राम ऐमली के निवासी श्री छत्रपति आ0 मोहबा को कृषि निर्माण हेतु कृषि विभाग से ऋण प्राप्त होने के बावजूद जीवधारा योजना के अंतर्गत कुआँ निर्माण की स्वीकृति श्री सांदित्य द्वारा प्रदान कर शासकीय राशि ₹13,000.00 रुपये का अपव्यय किया गया है। इस तरह उन्होंने दायित्वों के प्रतिकूल कार्यवाही कर म०प्र० सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 की नियम 3 का उल्लंघन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>आरोप क्रमांक– 5:-</u>

ग्राम सरनाडीह में श्रीमती रामकली, जो जे० रघुबीर प्रसाद की निजी भूमि पर स्वयं के उपयोग के लिये बनाये गये कुएँ हेतु जवाहर रोजगार योजना के मद से भी स्वीकृति प्रदान कर श्री सांडिल्य को मात्र ₹3,000.00 (तीन हजार रुपये) हितग्राही को दिया गया और अपने दायित्व के प्रतिकूल कार्यवाही किया है और म०प्र० सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 की नियम 3 का उल्लंघन किया है।

<u>आरोप क्रमांक–6 :–</u>

जीवन राम हरिजन, ग्राम अघोरा के विकास खंड अधिकारी श्री सांदित्य ने पशु व्यापारी से मिलकर ₹400.00 (चार सौ रुपये) की वृद्धि गाय आई०आर०डी०पी० योजना के अंतर्गत दिलायी गई तथा

पशु व्यापारी को बैंक द्वारा ₹4,300/- रुपये का भुगतान करवाकर धोखाधड़ी का कार्य किया गया, जो आचरण विरुद्ध नियम विरुद्ध है। हरिजन जीवन की गाय मर गई और योजना का कोई लाभ गरीब को नहीं मिला।

12. यह सुस्थापित विधिक सिद्धांत है कि जब कोई प्रक्रिया संबंधी आज्ञापक प्रावधान विनिर्दिष्ट किया गया हो, तो वैधानिक प्रक्रिया से किसी भी प्रकार का विचलन अनुमेय नहीं है।

13. प्रिवी काउंसिल ने नज़ीर अहमद बनाम किंग एम्परर[1] प्रकरण में निम्नानुसार अभिव्यक्त किया है—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "जो नियम लागू होता है, वह एक भिन्न किंतु उतना ही सुविख्यात नियम, अर्थात् जहाँ किसी कार्य को किसी विशिष्ट रीति से करने की शक्ति प्रदान की गई है, वहाँ वह कार्य उसी रीति से किया जाना चाहिए अथवा किया ही नहीं जाना चाहिए। उस कार्य के निष्पादन की अन्य सभी विधियाँ अनिवार्यतः निषिद्ध हैं।"

14. उच्चतम न्यायालय ने हुकुमचंद श्यामलाल बनाम भारत संघ एवं अन्य[2] प्रकरण में निम्नानुसार अभिव्यक्त किया है—

> 1. "यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहाँ किसी शक्ति का प्रयोग किसी विशिष्ट प्राधिकारी द्वारा किसी विशिष्ट रीति से किया जाना

---
1 AIR 1936 PRIVY COUNCIL 253 (2)
2(1976) 2 SCC 128

अपेक्षित है, वहाँ उस शक्ति का प्रयोग उसी रीति से किया जाना चाहिए अथवा किया ही नहीं जाना चाहिए, तथा उसके प्रयोग की अन्य सभी विधियाँ अनिवार्यतः निषिद्ध हैं। यह नियम वहाँ और अधिक कठोरता से लागू होता है जहाँ शक्ति दमनकारी प्रकृति की हो, क्योंकि निर्धारित विधि से इतर किसी अन्य प्रकार से उसका प्रयोग किया जाना प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।"

15. उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने आयुक्त आयकर, मुंबई बनाम अंजुम एम.एच. घसवाला एवं अन्य[3] प्रकरण में निम्नानुसार प्रतिपादित किया है—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. "यह विधि-व्याख्या का सामान्य नियम है कि जब कोई विधि किसी प्राधिकारी को किसी शक्ति का प्रयोग किसी विशेष ढंग से करने हेतु प्रदान करती है, तो उक्त प्राधिकारी को उस शक्ति का प्रयोग केवल उसी ढंग से करना होगा, जैसा कि विधि में उपबंधित है।"

16. उच्चतम न्यायालय ने कैप्टन सूबे सिंह एवं अन्य बनाम उपराज्यपाल, दिल्ली एवं अन्य[4] प्रकरण में निम्नानुसार अभिव्यक्त किया है

29. "अंजुम एम.एच. घसवाला प्रकरण में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने इस सामान्य नियम की पुनः पुष्टि की कि जब कोई विधि किसी प्राधिकारी को किसी शक्ति का प्रयोग किसी विशेष

3 (2002) 1 SCC 633
4 (2004) 6 SCC 440

> रीति से करने हेतु प्रदान करती है, तो उक्त प्राधिकारी को उस शक्ति का प्रयोग केवल उसी रीति से करना होगा, जैसा कि विधि में उपबंधित है (इस संदर्भ में धनंजय रेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य प्रकरण भी देखें)। प्रश्नरत सांविधि प्राधिकारी से यह अपेक्षा करती है कि वह परमिट से संलग्न शर्तों में परिवर्तन करने के लिए नियमों के अनुसार कार्य करे। हमारे विचार में, राज्य शासन को धारा 67(1)(घ) सहपठित उसके उप-खंड (i) के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर उक्त शर्तों में परिवर्तन करने का आभास उत्पन्न करना अनुमेय नहीं है।"

17. उच्चतम न्यायालय ने जम्मू एवं कश्मीर हाउसिंग बोर्ड एवं अन्य बनाम कुंवर संजय कृष्ण कौल एवं अन्य[5] प्रकरण में उपर्युक्त रूप से प्रतिपादित स्थापित विधिक स्थिति की पुनरावृत्ति करते हुए निम्नानुसार अभिव्यक्त किया है—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> 32."यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जब कोई सांविधिक प्रावधान किसी विशेष कार्य को करने हेतु कोई विशिष्ट प्रक्रिया अथवा रीति निर्धारित करता है, तो वह कार्य उसी अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाना अनिवार्य है। मात्र इस आधार पर कि संबंधित पक्ष अधिग्रहण की कार्यवाही से अवगत थे अथवा उन्हें व्यक्तिगत नोटिस की तामील की गई थी, विधिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, विशेषकर तब जब विधि यह स्पष्ट रूप से उपबंधित करती है कि सभी प्रक्रियाओं/विधियों का कठोरता से उसी प्रकार पालन किया जाना आवश्यक है, जैसा कि उसमें निर्धारित किया गया है।"

18. उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने दिल्ली परिवहन निगम बनाम डी.टी.सी.

5(2011) 10 SCC 714

मज़दूर कांग्रेस एवं अन्य[6] प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को संक्षेप में निम्नानुसार प्रतिपादित किया है—

> 202. "यह अब विधि का सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि दूसरे पक्ष को भी सुनो ('ऑडी आल्टेरम पार्टेम') का नियम, जो अपने मूल स्वरूप में संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांत को प्रवर्तित करता है, केवल अर्द्ध-न्यायिक आदेशों पर ही नहीं, अपितु उन प्रशासनिक आदेशों पर भी लागू होता है, जो संबंधित पक्ष के प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जब तक कि किसी अधिनियम, विनियम अथवा नियम द्वारा इसके अनुप्रयोग को स्पष्ट रूप से अपवर्जित न किया गया हो, जो कि वर्तमान प्रकरण में नहीं है। प्राकृतिक न्याय के नियम, नियमों एवं विनियमों का स्थानापन्न नहीं होते, बल्कि उनका पूरक होते हैं। इसके अतिरिक्त, विधि का शासन, जो हमारे संविधान में सर्वव्यापी है, यह अपेक्षा करता है कि उसका पालन विषयवस्तु की दृष्टि से भी तथा प्रक्रिया की दृष्टि से भी किया जाना चाहिए।
>
> समस्त पहलुओं पर विचार करने पर विनियम 9(6) अवैध एवं शून्य है, क्योंकि वह मनमाना, भेदभावपूर्ण है तथा शक्ति के प्रयोग हेतु किसी भी प्रकार के दिशानिर्देशों से रहित है। विधि का शासन यह प्रतिपादित करता है कि शक्ति का प्रयोग न्यायसंगत, निष्पक्ष एवं युक्तियुक्त रीति से किया जाना चाहिए, न कि अव्यावहारिक, मनमाने अथवा स्वेच्छाचारी ढंग से, जिससे भेदभाव की संभावना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6(1991) SUPP 1 SCC 600

उत्पन्न हो।”

उक्त सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय द्वारा सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली[7], भारत संघ बनाम तुलसीराम पटेल[8], डी.के. यादव बनाम जे.एम.ए. इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड[9], जसवंतसिंह माथुरासिंह बनाम अहमदाबाद नगर निगम[10], सहारा इंडिया फर्म, लखनऊ बनाम आयकर आयुक्त, सेंट्रल-I एवं अन्य[11], देवदत्त बनाम भारत संघ[12], तथा एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एवं अन्य[13] की संयुक्त कार्रवाई समिति बनाम महानिदेशक नागरिक उड्डयन प्रकरणों में आगे और अधिक स्पष्ट किया गया है।

19. उच्चतम न्यायालय ने काशीनाथ दीक्षित बनाम भारत संघ एवं अन्य[14] प्रकरण में निम्नानुसार अभिव्यक्त किया है—

> 10.— जब कोई शासकीय सेवक विभागीय कार्यवाही का सामना कर रहा हो, तो उसे अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों का प्रभावी ढंग से प्रतिवाद करने हेतु यथोचित अवसर प्रदान किया जाना उसका अधिकार है। कोई भी व्यक्ति, जो विभागीय जांच का सामना कर रहा हो, तब तक आरोपों का प्रभावी रूप से सामना नहीं कर सकता, जब तक कि उसके विरुद्ध उपयोग में लाए जाने वाले संबंधित कथनों एवं दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ उसे उपलब्ध न कराई जाएँ। ऐसी प्रतिलिपियों के अभाव में संबंधित कर्मचारी किस प्रकार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7 (1986) 3 SCC 156
8(1985) 3 SCC 398
9 (1993) 3 ACC 398
10 (1992) SUPP 1 SCC 259
11(2008) 14 SCC 151
12(2008) 8 SCC725
13 (2011) 5 Scc435
14(1986) 3SCC229

अपनी प्रतिरक्षा तैयार करेगा, साक्षियों से प्रतिपरीक्षण करेगा तथा आरोपों को अविश्वसनीय सिद्ध करने के उद्देश्य से असंगतियों की ओर संकेत करेगा।"

20. उच्चतम न्यायालय ने चन्द्रमणि तिवारी बनाम भारत संघ (महाप्रबंधक, पूर्वी रेलवे के माध्यम से)[15] प्रकरण में निम्नानुसार अभिव्यक्त किया है—

> 4. संविधान का अनुच्छेद 311 यह अपेक्षा करता है कि किसी शासकीय सेवक को बर्खास्तगी जैसे दीर्घ शक्ति से दंडित किए जाने से पूर्व उसे प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाए। यह भी अपेक्षित है कि विभागीय जांच नियमों के अनुरूप, न्यायसंगत एवं निष्पक्ष ढंग से आयोजित की जाए। जांच की प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए।
>
> प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत यह अपेक्षा करते हैं कि यदि किसी दस्तावेज पर अभियुक्त पक्ष के विरुद्ध भरोसा किया जाना है, तो उसकी प्रति उसे प्रदान की जाए तथा उसे साक्षियों से प्रतिपरीक्षण करने और अपनी प्रतिरक्षा में अपने साक्षी प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए। यदि किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध ऐसे दस्तावेज पर भरोसा करते हुए निष्कर्ष अभिलिखित किए जाएँ, जो उसे प्रकट नहीं किया गया हो या जिसकी प्रति, मांग किए जाने पर भी, जांच के दौरान उसे उपलब्ध न कराई गई हो, तो यह प्राकृतिक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15(1987) SUPP. SCC518

> न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा, जिससे जांच तथा उसके परिणामस्वरूप पारित दंडादेश अवैध एवं शून्य हो जाएगा। ये सिद्धांत इस न्यायालय के अनेक निर्णयों द्वारा सुव्यवस्थित रूप से स्थापित हैं।"

21. दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम एच.सी. खुराना[16] प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह विश्लेषण करते हुए कि विभागीय कार्यवाही कब प्रारंभ मानी जाती है, यह प्रतिपादित किया कि— "आरोप-पत्र का गठन, आरोपों की जांच हेतु विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्णय के उपरांत उठाया गया प्रथम कदम होता है। आरोप-पत्र शासकीय सेवक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के आधार पर निर्मित किया जाता है तथा तत्पश्चात उसे इस उद्देश्य से तामील कराया जाता है कि वह अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सके।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. निर्विवाद रूप से, नियम, 1966 के नियम 14 के अंतर्गत अपेक्षित आरोप-पत्र याचिकाकर्ता को न तो आपूर्ति किया गया और न ही तामील कराया गया, तथा न ही उसके साथ कदाचार अथवा अवचार के लांछनों का विवरण, दस्तावेजों की सूची एवं साक्षियों की सूची प्रदान की गई। अतः नियम 14 के उप-नियम (3) एवं (4) के पालन के अभाव में यह नहीं माना जा सकता कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय जांच विधिवत रूप से प्रारंभ की गई थी अथवा संपन्न की गई थी।

23. यद्यपि राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि याचिकाकर्ता को कोई क्षति (प्रेजुडिस) नहीं हुई है, तथापि उक्त कथन असंगत एवं अस्थिर है, क्योंकि याचिकाकर्ता को आरोपों के आधार पर दंडित किया गया है तथा संपूर्ण कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ता का पक्ष आरोपों के संपूर्णतः खंडन का रहा है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता को कोई क्षति नहीं पहुँची है। याचिकाकर्ता वर्ग–II

16 (1993)3 SCC196

का राजपत्रित अधिकारी था।

24. यद्यपि अपील प्रस्तुत याचिका के लंबित रहने के दौरान निरस्त की गई थी तथा उसे पृथक रूप से चुनौती नहीं दी गई है, तथापि प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि संवैधानिक प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन हुआ है, याचिकाकर्ता को मात्र इस आधार पर अनुतोष से वंचित नहीं किया जा सकता कि अपील की निरस्तीकरण को पृथक रूप से चुनौती नहीं दी गई।

25. प्रस्तुत याचिका के लंबित रहने के दौरान, अधिवक्ता द्वारा यह जानकारी दी गई कि याचिकाकर्ता अधिवार्षिक आयु पूर्ण करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है। यदि ऐसा है, तो याचिकाकर्ता समस्त सेवा लाभ, जिनमें वेतन भी सम्मिलित है, का हकदार होगा तथा तत्पश्चात उसके सेवानिवृत्ति लाभ इस आधार पर निर्धारण किए जाएँगे, मानो याचिकाकर्ता को सेवा से पृथक्करण दिनांक 08 मई, 2003 (अनुलग्नक-पी/14) से लेकर अधिवार्षिक आयु पूर्ण करने की तिथि तक निरंतर सेवा में माना गया हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. उपर्युक्त के परिणामस्वरूप, रिट याचिका उपर्युक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है, तथा पक्षकारों को अपने-अपने व्यय वहन करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं कियाजाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: Aastha Verma